

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 814) पटना, मंगलवार, 5 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं 5 सितम्बर 2017

सं० एलजी०—01—24 / 2017—183 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमित दे चुके है, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 25, 2017] बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 (बिहार अधिनियम II, 1916) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंम।**—(1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य से होगा।
 - (3) यह बिहार के राजपंत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम II, 1916 की धारा 3 एवं धारा 4 का प्रतिस्थापन।—बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 की धारा—3 एवं धारा—4 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
- 3. बिहार चिकित्सा परिषद् की स्थापना।—बिहार चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण परिषद् के रूपमें एक परिषद् की स्थापना की जाएगी और यह परिषद् एक निगमित निकाय होगी और इसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
 - 4. परिषद् का गठन।- (1) परिषद् दस सदस्यों से मिलकर होगी, यथा :--
 - (क) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य,
 - (ख) आर्यभट्टज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल फैकल्टी से नाम निर्दिष्ट दो सदस्य;
 - (ग) राज्य में निवास करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा और से निर्वाचित एक महिला सदस्य;
 - (घ) बिहार राज्य में निवास करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा और से निर्वाचित होनेवाले दो सदस्य;
 - (ड॰) भारतीय चिकित्सा संघ की बिहार शाखा के सदस्यों द्वारा और से निर्वाचित होनेवाले दो सदस्य।
 - (2) (i) परिषद् के अध्यक्ष परिषद् के सदस्यों द्वारा और उनके बीच से निर्वाचित किए जाएंगे और उस अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस अवधि के लिए परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा।
 - परिषद् अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किए गए किसी कार्य को, केवल उसमें किसी कार्य को, केवल उसमें रिक्ति अथवा परिषद् के गठन में किसी त्रुटि के विद्यमान रहने के आधार पर, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
 - (iii) परिषद् अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किए गए किसी कार्य को, केवल इस कारण से अधिनिमान्य नहीं समझा जाएगा कि सदस्यों की संख्या, वैसे कार्य के अनुपालन के समय, इस धारा में विनिर्दिष्ट संख्या तक नहीं थी।
- 3. व्यावृति ।— ऐसे प्रतिस्थापन के होते हुए, बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 की मूल धारा—3 एवं 4 के अधीन पूर्व में किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

5 सितम्बर 2017

सं० एलजी०-01-24/2017-184 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार चिकित्सा (संशोधन) अिधनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अिधनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 25, 2017]

THE BIHAR MEDICAL (AMENDMENT) ACT, 2017

AN ACT

To amend the Bihar Medical Act, 1916 (Bihar Act II, 1916)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

- **1.** Short title extent and commencement.— (1) This Act may be called as The Bihar Medical (Amendment) Act, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette of Bihar.
- **2.** Substitution of section, 3 and 4 of the Bihar Act, II, 1916.— Section-3 and section-4 of the Bihar Medical Act, 1916 shall be substituted by the following respectively:-
- **3.** Establishment of the Bihar Medical Council.— A Council shall be established as The "Bihar Council of Medical Registration and such council shall be a body corporate and have perpetual succession and a common seal and may, by the said name sue and be sued.
 - **4.** Constitution of Council.— (1) The said council shall consist of ten members, namely:-
 - (a) Three members to be nominated by the Government.
 - (b) Two members to be nominated by Aryabhatta Knowledge University from medical faculty.
 - (c) One female member to be elected by and from such registered practitioners residing in the State.
 - (d) Two members to be elected by and from the registered practitioners residing in the State of Bihar; and
 - (e) Two members to be elected by and from the members of the Bihar Branch of the Indian Medical Association.
 - (2)(i) The President of the council shall be elected by the members of the council from amongst them and shall hold office for a term for which the members of the council will be elected.
 - (ii) No act done by the Council shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Council.
 - (iii) No act of the Council or its officers shall be deemed to be invalid by reason only that the number of members did not, at the time of the performance of such act, amount to the number specified in this section.
- **3.** *Saving.*—Not withstanding such substitution anything done or any action taken previously under original section 3 and 4 of the act shall not be affected.

By Order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR,

Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)814-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in